विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

संख्या–06 / सी.एम.टी. / प्रदूषण–01 / 2014 4850

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक :

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

प्रेषित :

सभी विभागाध्यक्ष, बिहार ।
सभी कार्यालय अध्यक्ष, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार ।
निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक : 08/09/2014

विषय : अपने नियंत्रणाधीन वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 163(क) में विहित प्रावधान के आलोक में कोई भी मोटर वाहन बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के नहीं रखा जाएगा या संधारित नहीं किया जाएगा या चलाया अथवा परिचालित किया जायेगा । इसका उल्लंघन एक दण्डात्मक अपराध है और मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के नियम 190(2) के अधीन प्रथम अपराध के लिए रू0 1,000/– तथा द्वितीय अथवा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए रू0 2,000/– तक जुर्माने का प्रावधान है ।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी वाहनों में अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

4.9.14

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

Patna-278